80 हेक्टेयर जमान अटक आईआईटी इंदौर की राह में पर्यावरण मंत्रालय का रोड़ा

7000 पेड़ काटने होंगे

सूत्रों के मुताबिक भू-उपयोग बदलने की फाइल से केंद्रीय मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि बताई गई जमीन के बडे हिस्से पर संघन वन क्षेत्र है। भू- उपयोग बदलने पर इस हिस्से में लगे ७००० से ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा जो पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं है। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय इस वन क्षेत्र के उजड़ने पर इसकी क्षतिपूर्ति के लिए भेजे गए राज्य के प्रस्ताव से भी संतुष्ट नहीं है।

लगातार जमीन का कब्जा देने में देरी का आरोप राज्य सरकार पर लगाता रहा है। प्रदेश सरकार ने ग्रामवासियों के कब्जे वाली 40.8 एकड़ जमीन का मुआवजा देकर काफी पहले ही आईआईटी को सौंप दी थी। कुल जमीन में 198 एकड़ का हिस्सा वनक्षेत्र में आता है। इस जमीन का भू-उपयोग बदलने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने तैयार कर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था। इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने 80 हेक्टेयर भू-उपयोग बदलने से इंकार कर दिया है।-शेष पेज 9 पर

इंदौर (नप्र)। सिमरोल में अपना क्रेंप्रस आबंदित क्वी है। आईआईटी प्रशासन खोलने को बैकरार आईआईटी इंदौर की राह में अब पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति का रोड़ा आ गया है। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने संस्थान के लिए आवंटित जमीन का भू-उपयोग बदलने की स्वीकृति नहीं दी है। भोपाल से भेजी गई फाइल को केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लौटा दिया है। इस आपत्ति के कारण आरक्षित जमीन में से 80 हेक्टेयर का टुकड़ा संस्थान के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है।

प्रदेश सरकार ने आईआईटी के लिए सिमरोल में कुल 501.62 एकड़ जमीन

80 हेक्टेयर...(पेज 1 से जारी)

आईआईटी फिलहाल विवि से किराए पर ली गई जगह पर कक्षाएँ लगा रहा है। संस्थान ने 2011 में अपने कैंपस में कक्षाएँ शुरू करने का लक्ष्य रखा था। फिलहाल इस मामले में आईआईटी इंदौर दो साल पीछे चल रहा है। सप्ताहभर पहले आईआईटी ने आवंटित जमीन पर दूसरी बार भूमिभूजन की रस्म अदा की है। इससे पहले आईआईटी प्रशासन दलील दे रहा था कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रहा है संस्थान का कहना था जब तक उसे पूरी जमीन का कब्जा नहीं मिलेगा वह निर्माण कार्य शुरू नहीं करेगा।